

(5)
(37)
(3)

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक- एफ 73- २१ /20-3/200५

भोपाल, दिनांक - ६ जून, २००५

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय ~~वर्ल्ड-वे इंटरनेशनल स्कूल, ई-८ एक्स ० गुल्मीहर, भोपाल~~
को सी. वी. एस. ई. / ~~आई. सी. एस. ई.~~ से सम्बद्धता हेतु एन. अ. सी.
देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय ~~वर्ल्ड-वे इंटरनेशनल स्कूल, ई-८ एक्स ० गुल्मीहर-भोपाल~~
को सी. वी. एस. ई. / ~~आई. सी. एस. ई.~~ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु खेला न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके कितनी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

PRINCIPAL
World Way International School
E-8, Ext. World Way Road, Bhopal-39
Ph. 0755-3291589, 4276661

Principals
8/8/23

निरन्तर २ पर.....

:: 2 ::

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

॥ आर. आर. अहिरवार ॥
अवर सचिव


म. 0 प्र. 0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. रफ 73 - 29 / 20-3/2005 भोपाल, दिनांक - ६ जून, 2004

प्रतिपाठित :-

1. आसुता, लोक शिक्षण, म. 0 प्र. 0 भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - भीमाल ।
3. प्रमुख, असा. म. 0 प्र. 0 अंतरिक्षानल स्कूल, ई-2 ब्लॉक मुल्कीहर, भीमाल ।

की ओर प्रमुख एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त है ।



अवर सचिव


म. 0 प्र. 0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.
6/6/05

// म. 0 प्र. 0 //
30.12.04